Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
July-December 2021 2(2), 440–442

DALIT CONSCIOUSNESS AND HINDI JOURNALISM

दलित चेतना और हिन्दी पत्रकारिता

Sonu Kumari [1], Birendra Nath Mishra [2], Kalyan Kumar Jha [3], Sakshee Shalini [4], Sushant Kumar [5]

[1] Research Student, (UGC-NET/JRF), University Department of Hindi, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur, India
[2] Associate Professor, University Department of Hindi, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur, India
[3] Professor, University Department of Hindi, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur, India
[4] Assistant Professor, Department of Hindi, Dharma Samaj Sanskrit College, Muzaffarpur, India
[5] Assistant Professor, University Hindi Department, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur, India

DOI
10.29121/shodhkosh.v2.i2.2021.5495

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2021 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: The history of Hindi Dalit journalism is more than 150 years old. Dalit journalism started through magazines published in Marathi language. Later, its publication in Hindi language also started, which has been playing its role responsibly. Believers of Hindu, Muslim, Sikh, Jain, Buddhist, Christian etc. religions have been living in India for centuries. But a system like caste system is found only in Hindu society.

Hindi: हिन्दी दलित पत्रकारिता का इतिहास लगभग 150 वर्षो से भी अधिक पुराना है। दलित पत्रकारिता की शुरूआत मराठी भाषा में प्रकाशित पत्रिकाओं के माध्यम से हुई। कालांतर में हिन्दी भाषा में भी इसका प्रकाशन आरंभ हुआ, जो अपनी भूमिका को जिम्मेदारी से निभाते आ रहा है। भारतवर्ष में हिन्दू मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौद्ध ईसाई आदि धर्मों के मानने वाले सदियों से निवास करते जा रहे है। किन्तु वर्ण-व्यवस्था जैसी व्यवस्था केवल हिन्दू समाज में पायी जाती है।

Keywords: Caste System, Democratic System, Representation, Outcast, Hindutvaadi, वर्ण-व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रतिनिधित्व, बहिष्कृत, हिन्दूत्ववादी

1. प्रस्तावना

हिन्दी के दलित पत्रकारिता और पत्रकार आज डॉ. अम्बेडकर के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे है। वर्तमान समय में सैकड़ों दलित पत्र-पत्रिका भारतवर्ष में विभिन्न-भाषा एवं लिपियों में प्रकाशित है सभी पत्र-पत्रिकाओं पर डॉ. अम्बेडकर के विचार एवं दर्शन का गहरा प्रभाव है। वे सभी इनके विचार और दर्शन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाएँ व्यवसाय कम दलित चेतना के लिए काम कर रही है। आजादी के सात दशक बाद भी दलितों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है, देश भर में दलित पत्रकारिता अगर नहीं होगा तो दलितों के उत्पीड़न, शोषण से जुड़े सवाल कौन करेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्र एवं समाज विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोकतंत्र का महत्व नहीं रह जाएगा।

इसी क्रम में डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बडेकर ने 3 अप्रैल 1927 के दिन उनके और दलितों, पीड़ितों, शोषितों अछूतों के विरूद्ध किए गए मिथ्या प्रचार का उत्तर देने के लिए 'बहिष्कृत भारत' पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने दलित वर्गों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य ध्यान में रखकर किया। अपने इस अभियान में दलित वर्गों के अधिकार का प्रश्न उठाया।

2. मुख्य भाग

डॉ. अम्बेडकर ने बाल गंगाधर तिलक जैसे हिन्दूत्ववादी राष्ट्रीय नेता पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा था कि ''यदि तिलक अछूत परिवार में पैदा हुए होते तो 'स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है', ऐसा नारा बुलंद करने के बदले ऐसा कहने पर मजबूर हुए होते कि अस्पृश्यता को नष्ट करना ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।''[1] उन्होंने दलितों के लिए लिखा है कि खोया हुआ अधिकार मांगलन से या अपील करने से प्राप्त नहीं होते है। अधिकार तो मिलते है सतत् संघर्ष करने से। उन्होंने कहा दलित बली के बकरे नहीं बने अपितु सिंह बनना है। उन्हें मानवीय अधिकार स्वयं मिल जायेंगे। आजादी के पहले दलितों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था यह अधिकार लड़कर डॉ. अम्बेडकर ने दिलाया। दलितों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार संविधान में बने कानून के माध्यम से प्राप्त हुआ। उस जमाने में जहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं था तो पत्रकारिता की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं। दलितों पर हुए अत्याचार पर ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि समाचार पत्र-पत्रिकाओं के मालिक एवं संपादक दलित नहीं थे। उस समय दलितों के प्रश्न अधिक मात्रा में थे परंतु दलितों के प्रति किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं थी। डॉ. अम्बेडकर विदेश से वापस भारत आए फिर दलित पत्रिका का जो खालीपन था उसे उन्होंने भरने का कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर के उदय के बाद दलितों की बातें, उनकी स्थिति के साथ दलित पत्रकारिता की शुरूआत हुई।

भारतीय समाज में चर्तुवर्ण व्यवस्था विद्यमान है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। जो एक लम्बे समय से चली आ रही व्यवस्था है। जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर जबकि चंडाल सबसे नीचे क्रम में अवस्थित है। दोनों के मध्य सोपान क्रम में हजारों जातियाँ, उपजातियाँ विविध स्वरूप लिए अवस्थित है। ''ऊपर के जातियों का विशेष अधिकार था जबकि नीचे की जातियों को अतीत में पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। व्यक्ति को अपने स्वाभाविक विकास के लिए जो बुनियादी आजादी चाहिए, हिन्दू समाज में नितांत उसका अभाव था। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवनयापन करने, किसी स्थान पर निवास करने, शादी-विवाह करने, शिक्षा ग्रहण करने, पूजा-पाठ करने व मंदिर प्रवेश करने की स्वतंत्रता नहीं थी। इस प्रकार की समाज व्यवस्था में व्यक्ति का विकास कैसे संभव था।''[2]

वर्तमान समय में दलित साहित्य में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों का प्रकाशन व्यापक संख्या में होने लगा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी, वह उतना ही प्रभावशाली होगा, पत्र-लेखन के विविध रूप होते हैं। भाषा का जब विकास हुआ उसी के साथ-साथ पत्र लेखन का भी विकास हुआ। इसीलिए माना जाता है कि पत्र-लेखन का इतिहास बहुत पुराना है। आज के युग में मोबाइल, इंटरनेट जैसे संचार के साधन होने के बावजूद भी पत्र-लेखन का महत्व वैसे ही बना हुआ है। समय के साथ पत्र-लेखन के कला में भी अनेको परिवर्तन हुए। ई-मेल भी इन्हीं परिवर्तनों में से एक है। सर्वविदित है कि पत्रकारिता भी एक प्रकार का पत्र लेखन ही है। इसलिए पत्र-लेखन को पत्रकारिता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दलित साहित्य में भी लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है।

भारतीय दलित पत्रिका में विशेष योगदान डॉ. अम्बेडकर का माना जाता है। सर्वप्रथम जनवरी 1920 में 'मूकनायक' साप्ताहिक पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित किया। ''इस पत्र के माध्यम से दलितों की दशा का चित्रण करते हुए अपने विरोधियों को उत्तर देते थे।''[3] राजाराममोहन राय के काल में हमारे देश में अंधविश्वास, सती-प्रथा, बाल-विवाह एवं दास-प्रथा आदि अनेक कर्मकांड एवं सामाजिक बुराइयाँ समाज में व्याप्त थी। इन्होंने सर्वप्रथम दिसम्बर 1929 में 'संवाद कौमुदी' नामक साप्ताहिक पत्रिका बंगला भाषा में निकाली। इसके बाद देश में फारसी भाषा का प्रचलन होने से 'मीरातुल अखबार' निकला। 1929 ई. में बंगला एवं हिन्दी में 'बंगदूत' और अंग्रेजी में 'इंडिया हैराल्ड' नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके पूर्व राजाराममोहन राय ने सन् 1885 में अंग्रेजों की सहायता से सती प्रथा पर कानूनी रोक लगवाई।

वर्तमान समय में दलित चेतना के विकास में सर्वोच्च न्यायालय के दलित न्यायाधीश का वक्तव्य को देखा जा सकता है- ''न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि अगर वह दलित समुदाय से नहीं होते तो आज के तारीख में शीर्ष न्यायालय में जग नहीं होते उन्होंने कहा कि आरक्षण यानी साकारात्मक कार्यवाही के वजह से ही हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लोग भी भारत में शीर्ष सरकारी मदों तक पहुंचने में कामयाब हो सके है।''[4] उन्होंने आगे कहा यदि सर्वोच्च न्यायालय में सामाजिक प्रतिनिधित्व के तहत अनुसूचित जाति के शक्स को इसका लाभ नहीं दिया गया होता तो शायद वह दो साल बाद पदोन्नत होकर इस पद पर पहुँचते।

गोलमेज सम्मेलन (1932) लंदन का सांप्रदायिक निर्णय हिंदू, मुस्लिम, सिखों के साथ दलितों के पृथक् निर्वाचन से संबद्ध था। मोहनदास कर्मचंद गांधी ने इस सम्मेलन में अखिल भारतीय नेतृत्व की भूमिका के तहत स्वयं को दलितों का नेता होने का दावा पेश किया था जिसे डॉ. अम्बेडकर के तथ्यों व तर्कों ने खंडित कर दिया, लेकिन बाद में गांधी जी के आमरण अनशन के आगे अम्बेडकर को अंततः पृथक् निर्वाचन की मांग छोड़कर समझौता करना पड़ा। तत्संबंधी घटनाक्रम का तात्कालिक हिंदी पत्रकारिता में भी प्रतिबिंबन हुआ है। दलितों के स्वतंत्र निर्वाचन अधिकार की मांग के प्रति कांग्रेस की नीति बहिष्कार की रही।

उ. प्र. की हिंदी पत्रकारिता ने उसी नीति का अनुसरण किया। हिंदी पत्रकारिता की धारा गांधी सरीखे राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन करती चल रही थी। 'बहिष्कृत वर्ग' के पृथक् निर्वाचन स्थान के विरोध का यह भी एक कारण था।

उक्त सम्मेलन में भारत का भविष्य तय हो रहा था। उसके दलित विषयक रुख को देखकर अपेक्षित परिणामों के आशाभाव में भविष्य पत्र की टिप्पणी अवलोकनीय है। पत्र में लिखा, ''गोलमेज परिषद वास्तव में नामानुकूल एक गोलमोल वस्तु है। गोल वस्तु का अंत कभी नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में गोलमेज परिषद से लंबी-चैड़ी आशाएं बांधना पत्थर से पानी निकालने की आशा के समान दुराशा पात्र है।''[5] दलितों के लिए 'कम्युनल अवार्ड' गांधी जी की दृष्टि में अभिशाप था तो डॉ. अम्बेडकर इसे वरदान मानते थे। 'कम्युनल अवार्ड' में मुसलमानों व सिखों के लिए 'हां' और दलितों को 'ना' के साथ राष्ट्रीय एकता की दुहाई दी गई। उस एकता का दारोमदार दलितों पर ही निर्भर करके रेखांकित किया गया, पत्रकारिता ने इसी रूप में राष्ट्रीय एकता का पक्ष लिया। अम्बेडकर के विचार पक्ष के प्रति हिंदी पत्रकारिता ने गहरी उदासीनता व नकारात्मकता का परिचय दिया। कारण यह सवर्ण पत्रकारिता थी। इस धारा में तो दलित पत्रकारिता के अस्तित्व तक का पता नहीं चलता। जबकि 1927 में ही आदिमानव जैसे दलित पत्र मौजूद थे।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 'कविवचन सुधा' व 'हरिश्चंद्र पत्रिका' के द्वारा हिंदी पत्रकारिता को स्वस्थ, साहित्यिक व प्रतिबद्धता के मूल्यों से समृद्ध किया। आधुनिक स्वरूप की पत्रकारिता के प्रति भारतेंदु का महान योगदान रहा। उनके पूर्व के पत्रकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' केंद्रित पत्रकारिता की अहम भूमिका है। गणेशशंकर विद्यार्थी के 'प्रताप' में हम हिंदू-मुस्लिम एकता के गांधीवादी प्रयासों का अवलोकन करते हैं। दलित प्रश्नों पर भी श्री विद्यार्थी की कलम आंशिक रूप से चली है। 1937 के चुनाव में, उनका पत्र 'प्रताप' गांधी जी के हरिजनों से अपील करता है। डॉ. ब्रह्मानंद के शब्दों में, ''प्रताप ने हरिजनों को कांग्रेस के लिए वोट देने हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि ऐसा करके वे सामाजिक गुलामी की जंजीरें तोड़ने में सहायता पहुंचाएंगे।''[6] कांग्रेस की स्वातंत्र्योत्तरकालीन बार-बार की विजय और उसके प्रति हरिजनों की व्यावहारिक निष्ठा, थोक में मतदान 'प्रताप' जैसे तमाम पत्रों की अपील के अनुकूल है, लेकिन कांग्रेस ने सामाजिक गुलामी की कितनी और किसकी जंजीरें तोड़ीं, यह विवाद का विषय होगा। इन पत्रों की विचारवस्तु से लगता है कि ये गांधी प्रेरित पत्रकार दलितों को मतदाता के रूप में इस्तेमाल की वस्तु भर समझते रहे हैं, जातिभेद जन्य दलित दलन पर ये मौन हैं।

जिस प्रकार दलित प्रश्न 'गोलमेज सम्मेलन' से संबद्ध थे उसी प्रकार न्यूनाधिक रूप में 'हिंदू-कोडबिल' से स्त्री प्रश्न जुड़े हुए थे। कोड के अनुसार-हिंदू स्त्रियों को समान नागरिक अधिकारों के रूप में पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार, तलाक का अधिकार जैसे मुद्दों पर सनातनी हिंदुओं को सामंती संस्कारों के कारण गहरी आपत्ति थी। अर्थ एवं सत्ता संपन्न सामंतों ने इसके लिए सनातनी धर्मगुरुओं के स्त्री-विरोधी विवेक का गलत इस्तेमाल किया। बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कवियों का सोच यथास्थितिवादी था। स्त्रियों व स्त्रीहितैषियों के साथ जमकर विरोध व असहयोग किया गया और नकारात्मक रुझान की कविताएं लिखी गई। 'देवरिया' साप्ताहिक (1951) में छपी पंडित धरीक्षण मिश्र की व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया यहां उद्धृत करना प्रासंगिक है-

''हिंदू की जड़ कोड़कर जो फेंकेगा दूर
वह है हिंदू कोडबिल कौंसिल में मशहूर।''[7]

निष्कर्ष

स्वतंत्रता आंदोलन काल की हिंदी पत्रकारिता में दलित प्रश्न गैर-दलित पत्रकारों द्वारा उठाए गए और दलित वर्ग में पत्रकार कम और उनकी समस्याएं अधिक हुई। स्वतंत्रता आंदोलन कालीन पत्रकारिता दलितों की मुक्ति संयुक्त निर्वाचन में देखती थी, स्वतंत्र नहीं। जबकि अम्बेडकर पृथक् निर्वाचन की मांग कर चुके थे। कुछ पूर्व के पत्रकारों का दलितों के प्रति मानववादी उदार दृष्टिकोण रहा है, तो वर्ण, जातियों के प्रति यथास्थिति व समतामूलक समाज निर्माण के प्रश्नों में कुछ विरोधाभासी द्वंद्व देखा जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता अंग्रेजों के राष्ट्र विरोधी कार्यों की विरोधी होने के साथ-साथ दलित विषयक सुधार, शिक्षा, वर्ण विशेष को विशेषाधिकार समाप्त कर समान नागरिक संहिता का भी विरोध करती थी। जो धीरे-धीरे समझौते करती गई कालांतर में सत्ता के करीब हो गई। हिंदी पत्रकारिता राजनीतिक सत्ता से स्वार्थ-लाभ लेने के बजाय उससे संघर्ष करती रही। हिंदी पत्रकारिता निश्चित मूल्यों, प्रतिमानों के आग्रह से बंधी रही।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ. रामभरोसे, दलित पत्रकारिता (वर्तमान दशा और दिशा), संजय प्रकाशन, 2021, पृ. 197
2. डॉ. रामभरोसे, दलित पत्रकारिता (वर्तमान दशा और दिशा), संजय प्रकाशन, 2021, पृ. 153
3. संपादक-सुनील कुमार, भारत में दलित पत्रकारिता के आयाम, मई 09, 2020
4. हिन्दुस्तान दैनिक पत्रिका, 9 मार्च 2024, मुजफ्फरपुर (बिहार) संस्करण
5. श्यौराज सिंह 'बेचैन', अम्बेडकर गांधी और दलित पत्रकारिता, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2010, पृ. 16

6. श्यौराज सिंह 'बेचैन', अम्बेडकर गांधी और दलित पत्रकारिता, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2010, पृ. 17
7. डॉ. अर्जुन तिवारी, स्वतंत्रता आंदोलन और हिन्दी पत्रकारिता, विश्वविद्यालय प्रकाशन, उत्तर प्रदेश, 1982 पृ. 210